

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937

No. 339]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

सं. 16/2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.427 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (2) के साथ पठित उप-नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 44/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 26 जून, 2001, जिसे सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, उप-पैराग्राफ (vii), उपवाक्य (क) में, शब्द “विशाखापट्टनम” के स्थान पर “विशाखापट्टनम, मुन्द्रा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 201/02/2014- सीएक्स 6]

रोहन, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना को सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2011- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के द्वारा, सा.का.नि. सं. 864(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 के तहत, संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2015

No. 16/2015 - Central Excise (N.T.)

G.S.R.427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) read with sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 44/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 473(E), dated the 26th June, 2001, namely:—

1. In the said notification, in the opening paragraph, in sub-paragraph (vii), in clause (a), for the word “Visakhapatnam”, the words “Visakhapatnam, Mundra” shall be inserted.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 201/02/2014-CX.6]

ROHAN, Under Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 473(E), dated 26th June, 2001 and was last amended by notification no. 28/2011-C.E. (N.T.), dated 5th December, 2011 *vide* number G.S.R. 864(E), dated 5th December, 2011.